रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2175] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 21, 2014/आश्विन 29, 1936
No. 2175] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 21, 2014/ASVINA 29, 1936

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 2014

का.आ. 2725(अ).—भारत सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसके पष्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप–धारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 482(अ) दिनांक 17–02–2014 द्वारा, उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में, मैसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के मध्य प्रदेश राज्य के जिला शहडोल के अन्तर्गत सोहागपुर (पूर्व) एवं सोहागपुर (पश्चिम) में स्थित सी. बी. एम ब्लाकों से, देश के विभिन्न हिस्सों में उपभोक्ताओं तक प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए मैसर्स रिलायन्स गैस पाइपलाइन्स लिमिटेड द्वारा शहडोल (मध्य प्रदेश)–जयसिंह नगर–बेउहारी–गुरह–फूलपुर (उत्तर प्रदेश) गैस पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को तारीख 28/06/2014 को अथवा उससे पूर्व उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, पाइपलाइन बिछाने के संबंध में, जनता की ओर से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ है;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप–धारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपार्ट दे दी है;

और, भारत सरकार ने, उक्त रिपार्ट पर विचार करने के पष्चात् और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिषचय किया है;

अतः, अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप–धारा (4) द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से भारत सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त, मैसर्स रिलायन्स गैस पाइपलाइन्स लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

मंडल/तहसील/तालुक : रायपुर कर्चुलियान	जिला : रीवा	राज्य : मध्य प्रदेश		
गाँव का नाम	सर्वे सं./सब डिविजन सं.	आर. ओ.यू. अर्जित करने के लिए क्षेत्रफल		
		हेक्टेयर	एयर	सि. एयर
1	2	3	4	5
(1) पड़रिया	1781	00	01	15
	1393	00	02	16
	1394	00	03	07
	1373	00	01	07
	1368	00	02	87
	1324	00	01	87
(2) टटेहरी	136	00	00	55
	2	00	01	06
(3) तमहा	238	00	01	52
	234	00	00	29
	197	00	08	15
(4) महगना	3	00	01	33
मंडल/तहसील/तालुक : मनगवां	जिला : रीवा	राज्य : मध्य प्रदेश		
(1) हरदी	935	00	01	03
	581	00	04	51
(2) भीर	98	00	00	63
	213/01	00	01	32
(3) पलिया	617	00	00	86
	139	00	05	45
(4) पटेहरा	527	00	01	58
(5) सिलपरी	80	00	00	92
(6) भववार	875	00	01	49
(7) डिलहा	13	00	03	13
	10	00	02	27
(8) डिलहा 243	46	00	02	03
(9) टुकड़ा धवैया 254	205	00	00	67
मंडल/तहसील/तालुक : नईगढ़ी	जिला : रीवा	राज्य : मध्य प्रदेश		
(1) सुवरहा	1	00	00	76
(2) मनकुवां	469/465	00	00	76
	465	00	30	66
(3) जोधपुर खास	230	00	03	24
(4) इटहा कलां	3	00	01	05
(5) जोगिया कोठार	58	00	01	46
(6) हड़िया कोठार	50	00	12	90
	38	00	06	38
(7) बदौआ कलाँ	36	00	08	88
(8) बहेरा नानकार	358	00	03	87
	359	00	03	66
	547	00	01	89
	535	00	01	53
(9) आँबी मुरली राम	145	00	04	59
	144/2	00	03	58
	245/2	00	01	04
(10) देवरी सेंगर	30/2	00	00	94
	120	00	02	23
	121/1	00	02	63

[फा. सं. एल.-14014/8/2014—जी.पी.–II]

श्री प्रकाश अग्रवाल, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th October, 2014

S.O. 2725(E).—Whereas by notification of Government of India in Ministry of Petroleum and Natural Gas, number S.O. 482(E) dated 17-02-2014, issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines

(Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land, specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying Shahdol (Madhya Pradesh) - Jaysingh Nagar - Beohari - Gurh – Phulpur (Uttar Pradesh) gas pipeline for transportation of natural gas from the Sohagpur (East) and Sohagpur (West) C.B.M. blocks of M/s Reliance Industries Limited, situated under Shahdol district in Madhya Pradesh State by M/s Reliance Gas Pipelines Limited to the consumers in various parts of the country;

And whereas, the copies of the said Gazette notification were made available to the public on or before 28/06/2014;

And whereas, no objections have been received from the public to the laying of the pipeline;

And whereas, the Competent Authority has, under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government of India;

And whereas, Government of India, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire the Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby declares that the Right of User in the land, specified in the Schedule, appended to this notification, is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby directs that the Right of User in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest on the date of publication of the declaration, in M/s Reliance Gas Pipelines Limited, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Mandal/Tehsil/Taluk : Raipur Karchuliyan	**District : Rewa**			**State : Madhya Pradesh**
Name of Village	**Survey No./Sub-Division No.**	**Area to be acquired for ROU**		
		Hec	**Are**	**C-Are**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
(1) Padariya	1781	00	01	15
	1393	00	02	16
	1394	00	03	07
	1373	00	01	07
	1368	00	02	87
	1324	00	01	87
(2) Tatehari	136	00	00	55
	2	00	01	06
(3) Tamha	238	00	01	52
	234	00	00	29
	197	00	08	15
(4) Mahgana	3	00	01	33
Mandal/Tehsil/Taluk : Mangawan	**District : Rewa**			**State : Madhya Pradesh**
(1) Hardi	935	00	01	03
	581	00	04	51
(2) Bhir	98	00	00	63
	213/01	00	01	32
(3) Paliya	617	00	00	86
	139	00	05	45
(4) Patehra	527	00	01	58
(5) Silpari	80	00	00	92
(6) Bhavwar	875	00	01	49
(7) Dilha	13	00	03	13
	10	00	02	27
(8) Dilha 243	46	00	02	03
(9) Tukda Dhawiya 254	205	00	00	67
Mandal/Tehsil/Taluk : Naigarhi	**District : Rewa**			**State : Madhya Pradesh**
(1) Suwarha	1	00	00	76
(2) Mankuwa	469/465	00	00	76
	465	00	30	66
(3) Jodhpur Khas	230	00	03	24

(4) Itaha Kalan	3	00	01	05
(5) Jogiya Kothar	58	00	01	46
(6) Hadia Kothar	50	00	12	90
	38	00	06	38
(7) Badaua Kala	36	00	08	88
(8) Bahera Naankaar	358	00	03	87
	359	00	03	66
	547	00	01	89
	535	00	01	53
(9) Ambi Murli Ram	145	00	04	59
	144/2	00	03	58
	245/2	00	01	04
(10) Devri Sengar	30/2	00	00	94
	120	00	02	23
	121/1	00	02	63

[F. No. L-14014/8/2014-GP-II]

S. P. AGARWAL, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.